प्रकरण संख्या 42/2019 मोतीसिंह व अन्य बनाम रायसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.07.2021	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छातरडी में परिशिष्ट ''अ'' व ''ब'' में वर्णित आराजियात स्थित हैं, जो वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी एवं आधिपत्य की हैं। परिशिष्ट ''अ'' की आराजियात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा एवं परिशिष्ट ''ब'' वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है। अतः उक्त आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से में आई का भूमि का वादी को प्रथक से कब्जा दिलाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 05.06.2018 से पत्रावली बन्द/ड्रोप करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23.09.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री कमलेश चौहान हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय डिक्री की जानकारी उन्हें प्रथम बार दिनांक 22.07.2019 को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील मयाद में शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट द्वारा धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2018 अंतिम निर्णय की परिभाषा में आता है, किन्तु इसमें किसी प्रकार की डिक्री जारी नहीं की गयी है इसलिए डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त नहीं होने से डिक्री के अभाव में निर्णय दिनांक 05.06.2018 को ही डिक्री मानकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथपत्र भी प्रस्तुत किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 42/2019 मोतीसिंह व अन्य बनाम रायसिंह व अन्य

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निर्णय दिनांक 05.06.2018 के साथ डिक्री जारी की जाना प्रकट नहीं होता है। तद्नुसार न्यायहित में उक्त आवेदन स्वीकार किया जाता है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने बिना अंतिम डिक्री जारी कर दी है एवं निर्णय के साथ डिक्री भी जारी नहीं की गयी है तथा राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उसकी सहमति नहीं होते हुए भी आपसी सहमति लिखकर निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राज्य सरकार का हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि दिनांक 04.04.2018 को पत्रावली नामकायमी में दिनांक 23.05.2018 के लिए नियत की गयी थी, किन्तु उक्त दिनांक से प्रथक दिनांक 05.06.2018 को पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर आपसी सहमति लिखते हुए प्रकरण बन्द/ड्रोप करने के आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलान्टगण की सहमति अथवा उन्हें राजस्व कैम्प की सूचना दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है, जिससे हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.06.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना करते हुए तैयार किया जाकर विधि अनुसार अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.09.2021 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.08.10 12:12:35 IST
Reason: SelfAttested

(एम. एल. चौहान)
खण्ड अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर